<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>15/04/2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता जोनल कार्यालय ने माननीय पीएमएलए कोर्ट द्वारा शिब प्रसाद हाजरा, सेख अलोमगीर और दीदार बोक्श मोल्ला (शाहजहाँ शेख के सभी सहयोगी) को ईडी की 10 दिन की हिरासत में भेजने के आदेश का अनुपालन करते हुए दिनांकः 12/04/2024 को अपनी हिरासत में ले लिया है। इससे पहले ईडी को शाहजहां शेख की 13 दिन की ईडी हिरासत मिली थी।

ईडी ने आईपीसी अधिनियम, 1860, शस्त्र अधिनियम, 1959, एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 एवं राज्य राजमार्ग अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा शाहजहाँ शेख और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई कई प्राथमिकियों (एफआईआर) जिसमें पीटने की धमकी देना, हत्या, हत्या का प्रयास, जबरन वसूली, आम जनता की जमीन हड़पना आदि जैसे जघन्य अपराध शामिल हैं, के आधार पर जाँच शुरू की।

जाँच के दौरान, यह पता चला कि शाहजहाँ शेख आदिवासियों/किसानों से अवैध रूप से हड़पी गई जमीनों पर मछली पालन केंद्र चला रहा है और उसने अपनी फर्म मेसर्स एसके सबीना फिश सप्लायर के नाम पर हड़पी गई जमीनों से मछली/झींगा की बिक्री करके और विभिन्न अन्य व्यवसाय (ईंट भट्ठों सहित) आदि चला कर अपराध की आय (पीओसी) अर्जित की है। उक्त आपराधिक अनुसूचित अपराधों से उत्पन्न नकदी का शोधन (लॉन्ड्रिंग) मेसर्स मैग्नम एक्सपोर्ट आदि जैसी फर्मों/कंपनियों के माध्यम से किया गया है और ऐसे पीओसी को बेदाग धन (अनडेन्ड मनी) के रूप में पेश किया गया है। जिसके चलते शाहजहाँ शेख ने अनुसूचित अपराधों से संबंधित आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न, प्राप्त और अर्जित की गई उक्त पीओसी से बड़ी संख्या में चल और अचल संपत्तियां अर्जित कीं।

इस मामले में, ईडी पहले ही अनंतिम कुर्की आदेश दिनांकः 05/03/2024 द्वारा शाहजहाँ शेख की लगभग 12.78 करोड़ रुपये की विभिन्न चल और अचल संपत्तियों को कुर्क कर चुका है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।